

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घण्टा पश्चात विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना।

अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने आज 07 मार्च, 2025 को 11.00 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की थी तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे।

II. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. पदम विभूषण डॉ० मनमोहन सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री;
2. चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री;
3. श्री सतपाल सांगवान, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
4. डॉ० कृपा राम पुनिया, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
5. श्री सुरेंद्र सिंह औजला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
6. चौधरी कर्म सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
7. श्री हेम राज, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
8. सरदार बाज सिंह, स्वंत्रता सेनानी;
9. हरियाणा के शहीद;
10. अन्य;

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट।

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट एक सदस्य में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
93.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
94.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
95.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
96.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/29/2014/5वां संशोधन/2024, दिनांकित 01 अगस्त, 2024 मेज पर रखेंगे।
97.	एक मंत्री	मानव संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
98.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
99.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
100.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 26वीं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
101.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड (एच.आर.ई.सी) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
102.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2022-2023 (01.04.2022 से 31.03.2023) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
103.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2023-2024 (01.04.2023 से 31.03.2024) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

104.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा राज्य सड़कें तथा पुल विकास निगम लिमिटेड की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
105.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा राज्य सड़कें तथा पुल विकास निगम लिमिटेड की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
106.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
107.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की 2024 की रिपोर्ट संख्या-3 (अनुपालन लेखा-राजस्व) की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट-II पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
108.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे (भाग-1 तथा 2) मेज़ पर रखेंगे।
109.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे मेज़ पर रखेंगे।

चण्डीगढ़:
06 मार्च, 2025 .

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।